सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 कार्तिक 1938 (श०)

संख्या- 811 राँची, मंगलवार,

25 अक्टूबर, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

24 अक्टूबर, 2016

संख्या- 06/न०वि०/भ०उ०वि०-02/2015-5826-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-590 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'झारखण्ड नगरपालिका भवन नक्शा स्वीकृति हेतु प्राधिकृत संस्था नियमावली, 2016' में संशोधन करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ एवं विस्तार :-

(1) यह नियमावली, 'झारखण्ड नगरपालिका भवन नक्शा स्वीकृति हेतु प्राधिकृत संस्था (संशोधित) नियमावली, 2016' कही जायेगी ।

(2) यह नियमावली झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी ।

(3) इस नियमावली का विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

2. परिभाषायें :-

2.1 "अधिनियम" का अर्थ है, झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित), झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम-1981 (अंगीकृत) एवं यथा संशोधित-2006 तथा खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम-1986 (यथा संशोधित)।

2.4 ''प्राधिकार'' का अर्थ है, झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम-1981 (अंगीकृत) एवं यथा संशोधित-2016 तथा खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम-1986 के अधीन गठित प्राधिकार ।

3. अन्य संशोधन -

(i) 'झारखण्ड नगरपालिका भवन नक्शा स्वीकृति हेतु प्राधिकृत संस्था नियमावली, 2016' के नियम-3.4, 4.1, 4.3, 4.4, 5.5, 5.7 एवं 7 में उल्लिखित 'नगरपालिका' को संशोधित करते हुए, 'नगरपालिका अथवा प्राधिकार' को जोड़ा जाता है ।

(ii) 'झारखण्ड नगरपालिका भवन नक्शा स्वीकृति हेतु प्राधिकृत संस्था नियमावली, 2016' के नियम-4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 एवं 5.6 में उल्लिखित 'नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी' को संशोधित करते हुए, 'नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी अथवा उपाध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक' को जोड़ा जाता है ।

(iii) 'झारखण्ड नगरपालिका भवन नक्शा स्वीकृति हेतु प्राधिकृत संस्था नियमावली, 2016' के नियम-4.2, 5.2, 5.8 एवं 7 में उल्लिखित 'निकाय' को संशोधित करते हुए, 'निकाय अथवा प्राधिकार' को जोड़ा जाता है ।

4. नियमावली के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 811--50 ।